Form No:4059

Office of the District Basic Education Officer
MATHURA

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **RAMKALI DEVI SARASWATI BALIKA VIDHYA MANDIR,1298 SUNRAKH BANGAR VRINDAVAN MATHURA 281121** is provisionally recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to RAMKALI DEVI SARASWATI BALIKA VIDHYA MANDIR is **MAT09147921359**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:26-09-2023To:26-09-2024(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Primary School(1 to 5)
5.Recognition No.	MAT09147921359

DATE:- 26-09-2023

PLACE:- MATHURA

District Basic Education Officer

Digitally signed by SUNIL DUTTA
Date: 2023.09.26 14:45:35
Reason: For Digital Signature
Location: MATHURA

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा।

पत्रांक:सं0 / बे0शि0 / मान्यता / 7923-02 /2020-21 दिनांक - 05-01-2021

प्रबन्धक,

रामकली देवी सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर
केशवधाम, वृन्दावन, मथुरा।

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम् 15 के उपनियम(4) एवं राजाज्ञा संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 तथा 29 जून 2020 में निहित प्राविधानों के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 25–08–2020 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं **दि0 04–01–2021 को मण्डलीय मान्यता समिति की आहूत बैठक में लिए गये निर्णय/संस्तुति** के प्रति निर्देश से **मै–रामकली देवी, सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर केशवधाम, वृन्दावन, मथुरा को दिनांक 01–04–2020 से दिनांक 31–03–2023 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा–6 से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरे किये जाने के अधीन है।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–5 के पश्चात् मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में बालक/बालिकाओं की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्ग के और सुविधा–विहीन समूह के बालक/बालिकाओं को प्रवेश प्रदान करेंगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालक/बालिकाओं के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण उसे प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक/बालिका को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक/बालिका से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धांरा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताऐं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेंगा।

Vantika Goel
Manager
Ram Kali Devi Saraswati
Balika Vidya Mandir
Behind Keshav Dham
Keshav Nagar, Vrindavan, Mathura

Principal
Ram Kali Devi Saraswati
Balika Vidya Mandir
Behind Keshav Dham
Keshav Nagar, Vrindavan, Mathura

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–16883.28 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र–1330.80 वर्ग मीटर

कीडा–स्थल का क्षेत्रफल–......................

कक्षा–कक्षों की संख्या–35

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डारागार के लिए कक्ष–है।

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक, शौचालय–है।

पेयजल सुविधा–है।

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– है।

बाधारहित पहुंच–है।

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद, उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता– है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्टीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टिमों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 01/01 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

17. विद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष यू–डायस व एस0डी0एम0आई0एस0 डाटा रिर्पोट कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

18. संलग्नक उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा।

पृ0सं0/बे0शि0/मान्यता/ /2020–21 दिनांक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्–

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मथुरा।
3. अध्यक्ष मझमण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) आगरा।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर–वृन्दावन।
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मथुरा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विद्यालय हेतु आपके कार्यालय द्वारा निर्गत अग्निशमन सुरक्षा **प्रमाण–पत्र सं0 सी0ए0एफ0ओ0/30 दि0 19 नवम्बर 2020** के अनुसार नियमानुसार विद्यालय में व्यस्थित है अथवा नहीं ? सुनिश्चित करा लिया जाय।
6. आर0टी0ओ0/ए0आर0टी0 मथुरा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विद्यालय में छात्र–छात्राओं के आवागम/वाहन/ट्रान्सपोर्ट साधन/वयवस्था यातायात नियमों के अधीन संचालित है अथवा नहीं, को सुनिश्चित करा लिया जाय।
7. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा।

Manager
Ram Kali Devi Saraswati
Balika Vidya Mandir
Behind Keshav Dham
Keshav Nagar, Vrindavan, Mathura

Principal
Ram Kali Devi Saraswati
Balika Vidya Mandir
Behind Keshav Dham
Keshav Nagar, Vrindavan, Mathura